

फॉर्म IV

पशुपालन (डेरी सहित)/ मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन के लिए किसानों को अल्पावधि ऋण/ गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋणों (प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग दावा प्रस्तुत किया जाना है), के समय पर भुगतान हेतु 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए एकबारगी दावा, वर्ष 2021-22 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रु.2 लाख तक संवितरित/आहरित बैंक का नाम: _____

	7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण		कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था		दावा की गई अतिरिक्त सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	
2 लाख रूप तक के ऋण					

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2021-22 हेतु 3% पीआरआई हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
2 लाख रूप तक के ऋण									

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 हेतु 3% पीआरआई हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
2 लाख रूप तक के ऋण									

हम प्रमाणित करते हैं कि केसीसी के माध्यम से वितरित उपर्युक्त अल्पावधि ऋण, जिसके लिए दावा किया जा रहा है, समय पर चुकाया गया था और पात्र ऋणी किसानों को 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, जिससे वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसे किसानों को संवितरित 2 लाख रूप तक के पशुपालन (डेरी सहित)/ मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन के लिए अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत वार्षिक की हो गई है। आरबीआई के दिनांक 28 अप्रैल 2022 के परिपत्र विसवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-23 के पूर्णतया अनुपालन में पशुपालन (डेरी सहित)/ मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन के लिए पात्र अल्पावधि ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के दावे की गणना की गई है। इसके अलावा, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या (आईएन) उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, उन्हें कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या / आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर नाम: _____
पदनाम: _____

दिनांक: _____

हम प्रमाणित करते हैं कि _____ से _____ की अवधि के दौरान बैंक द्वारा केसीसी के माध्यम से संवितरित पशुपालन (डेरी सहित)/मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन हेतु किसानों को पात्र अल्पावधि ऋण पर गणना किए गए _____ रूप के 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन के लिए उपरोक्त दावा सही और सटीक एवं दिनांक 28 अप्रैल 2022 के आरबीआई के परिपत्र विसवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-23 के पूरी तरह से अनुपालन में है। इसके अलावा, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या (आईएन) उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, उन्हें कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या / आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

सांविधिक लेखा-परीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर नाम: _____
फर्म पंजीकरण संख्या: _____
सदस्यता संख्या: _____
यूडीआईएन: _____

दिनांक: _____